चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut
पत्रांक : उ0पु0/गोप0/ 549
दिनांक : 18.01.2021

अधिसूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या–ई–7443/03–जी0 एस0/2019–(T-C), दिनांक 26.11.2020 द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चुनौती मूल्यांकन से सम्बन्धित एक जैसी व्यवस्था लागू करने हेतु गाईडलाइन (मानक निर्देश) उपलब्ध कराये गये थे। उक्त गाइडलाइन (मानक निर्देश) पर विचारोपरान्त परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 04.01.2021 की कार्यवृत्त के मद/संकल्प संख्या–01 में अनुमोदित चुनौती मूल्यांकन हेतु नये नियम निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं :–

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचारित (Scanned Copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि–

चुनौती मूल्यांकन (**Challenge Evaluation**) के प्रथम चरण के लिये परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क–

चुनौती मूल्यांकन (**Challenge Evaluation**) के प्रथम चरण के लिये सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू 300/– प्रति प्रश्नपत्र आनॅलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में–

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (Scanned Copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (**Challenge Evaluation**) के दूसरे चरण के लिये आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि–

चुनौती मूल्यांकन (**Challenge Evaluation**) के दूसरे चरण के लिये परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 90 (नब्बे) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क–

चुनौती मूल्यांकन (**Challenge Evaluation**) के दूसरे चरण के लिये सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/– प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया–

01. प्रत्येक विषय में मूल्यांकन हेतु, विश्वविद्यालय नियमानुसार अर्ह विषय विशेषज्ञो/परीक्षकों का पैनल विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया जाये, जो कि परीक्षा नियन्त्रक द्वारा माननीय कुलपति जी से अनुमोदित कराया जायें।
02. चुनौती मूल्यांकन समिति इसी पैनल में से किन्ही दो विशेषज्ञ/परीक्षक बुलाकर मूल्यांकन कार्य सम्पादित करे।

क्रमशः–02

3. चुनौती मूल्यांकन **(Challenge Evaluation)** के लिये उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।
4. संबंधित उत्तर पुंस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में–

1. दोनो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांको से कम हो अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांको में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गये शुल्क रू0 2500/– में से रू0 1000/– की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में–

1. चुनौती मूल्यांकन **(Challenge Evaluation)** में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक के 3 (तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 (पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यो से विवर्जित **(Debarred)** रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ–साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।

उक्त नियम अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. वैयक्तिक सहायक–प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
05. समन्वयक, चुनौती मूल्यांकन को सूचनार्थ।
06. उप कुलसचिव/समस्त सहा0 कुलसचिव (उ0पु0/गोप0/परीक्षा) को सूचनार्थ।
07. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।
08. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
09. प्रभारी, कमेटी सैल को सूचनार्थ।
10. प्रभारी, उत्तर पुस्तिका अनुभाग को सूचनार्थ।

10.01.2021

सहा0 कुलसचिव
(उ0पु0/गोप0)